

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

E-Mail :- dfonnagar-forest-uk@nic.in

पत्रांक:- 2113

/12-1, दिनांक, मुनिकीरेती,

Tel./Fax :- 0135 - 2442052

15/03/2018

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता,
अस्थायी खण्ड लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0-कीर्तिनगर

विषय :-

जनपद टिहरी के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत हिण्डोलाखाल पयालगांव मोटर मार्ग का बिटुला, नौथा देवली एवं दलमासा होते हुये मूल्यागांव तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.711 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/22231/2016

सन्दर्भ :-

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक-2915/FP/UK/ROAD/22231/2016 दिनांक 22-02-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक विषयक सन्दर्भित पत्र जो आपको सम्बोधित एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है में उत्तराखण्ड शासन के द्वारा कतिपय अधिरोपित शर्तों के अधीन जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने का उल्लेख है। उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-116/X-4-18/1(34)/2018 दिनांक 19-02-2018 में दी गयी शर्तों के क्रम में आपके द्वारा निम्नानुसार अनुपालन किया जाना है।

शर्त संख्या-01 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस-पास/मार्ग के दोनो ओर नाप भूमि को छोड़ते हुये रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण वसूली वर्ष 2017-18 हेतु 0.790 किमी0 @ 3,79,843.00 प्रति किमी0 की दर से कुल मु0 03,00,076.00 की धनराशि जमा करनी होगी।

शर्त संख्या-02. एन0पी0वी0 के रूप में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा 0.711 हे0 हेतु @ 6,57,000.00 प्रति हे0 की दर से मु0 04,67,127.00 धनराशि जमा करनी होगी। एन0पी0वी0 की मांग का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है :-

एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

“प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 में उल्लेखित व्यवस्था के अनुसार आबंटित वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है” :-

1. ईको-क्लास श्रेणी- V
2. हरियाली का घनत्व- 0.10 Open Forest
3. एन0पी0वी की दर प्रति हे0- मु0 6,57,000.00 (छः लाख सत्तावन हजार रुपये मात्र)
4. आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 0.711 हे0
5. कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि- $0.711 \text{ हे0} \times 6,57,000.00 = 04,67,127.00$

शर्त संख्या- 03. के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा इस आशय का वचनबद्धता का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बड़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

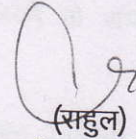
शर्त संख्या-04 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के (CAMP) के तदर्थ निकाय खाते में ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम द्वारा जो चालान जेनरेट होता है उसी के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।

शर्त संख्या-05 के अनुपालन में भू-वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से पालन किये जाने का प्रमाण-पत्र प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या-06 के अनुपालन में प्रयोक्ता द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

शर्त संख्या-07. के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

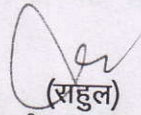
अतः उक्तानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।



(सहल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।

संख्या:- 2118 / दिनांकित।

प्रतिलिपि :- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी उत्तराखण्ड देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।



(सहल)
प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग, मुनिकीरेती।